

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2023

विषय:- उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित एवं आवासीय/व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4982/9-आ-1-99-79 बैठक/99 दिनांक 17.12.1999 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित एवं आवासीय/व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित की गयी है, जिसमें मा० विधायक, मा० सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

2- मा० लोक लेखा की सम्पन्न बैठक में मा० विधायकगण द्वारा यह अवगत कराया गया कि कई बार आवेदन करने के बाद भी आवास आवंटन नहीं हो सका है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा० सदस्यगण को अवगत कराने का कष्ट करें कि आवास की उपलब्धता कहां-कहां पर है, ताकि उसका लाभ मा० सदस्यगण को प्राप्त हो सके।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

4
12.4.23
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

प्रेषक,

श्री रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक : 17 दिसम्बर, 1999

विषय : उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित एवं आवासीय/व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों के आर्बटन में आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-138 सीएम/9-आ-1-99-10 मिस/88, दिनांक 23 नवम्बर, 94 की ओर आकाश पत्रान आकृष्ट करते हुए मुझे यह फटने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों/भवनों के आर्बटन में निम्न प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गयी है :-

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक, सांसद, व स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	05
6.	उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महानपालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	01
	योग	66

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु सम्बन्ध विधायक विचारोपलब्ध शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक क्षेत्रों के लिए उपलब्ध अ. न. में ही हो उदाहरणस्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिये निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% अलग वृद्धजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण द्विगुणित होगा।
3. वृद्धजनों से सम्बन्धित ऐसी व्यक्तियों से है जिन्होंने इस शरणावेश के जारी होने की तिथि को 60 वर्ष की आयु पर वर ली।
- 4 अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। समय-समय पर उक्त व्यक्तियों के लिए किये गये आवंटन का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

महोदय
 उपमुख्य सचिव
 संयुक्त कार्यालय।

सं. नं-4932(1)/9-आ-1-93, तदुद्दिनांक।

उपरोक्त शरणावेश की प्रति प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, समाज कल्याण विभाग को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
 उपमुख्य सचिव
 संयुक्त कार्यालय।